(4)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::आदेश::

आ०सं०–15 / बि०स०से०–03–07 / 2017 सा०प्र०.3337..पटना–15, / दिनांक ..20-3-17

श्री शीलभद्र गुप्ता, सचिवालय सहायक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति निदेशक (मुख्य अभियंता का कार्यालय), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना कार्यालय में बाह्य सेवा शर्त्तो पर पदस्थापित सचिवालय सहायक के संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 896 दिनांक 03.03.2017 द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक कांड मे श्री गुप्ता, सचिवालय सहायक की गिरफ्तारी का समाचार दिनांक 13.02.2017 को स्थानीय दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है।

श्री गुप्ता बिहार सचिवालय सेवा के सदस्य है, जिसका नियंत्री विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(ग) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री गुप्ता, सचिवालय सहायक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. उक्त निर्णय पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15 / बि०स०से०–03–07 / 2017 सा०प्र०..3337..पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15 / बि०स०से०–03–07 / 2017 सा०प्र०.3337..पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15 / बि०स०से०–03–07 / 2017 सा०प्र०...3337.पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपिः– मोहन पासवान, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 896 दिनांक 03.03.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस मामले से संबंधित श्री गुप्ता पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') एवं तत्संबंधी साक्ष्य अभिलेख / सूची शीध्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15 / बि०स०से०–03–07 / 2017 सा०प्र०...3337.पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपिः– कारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा बेउर, पटना को दो प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि आदेश की एक प्रति श्री शीलभद्र गुप्ता, सचिवालय सहायक को अपने स्तर से तामिला कराकर इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

सरकार के अवर सचिव

File Path: [illegible] aadesh.docx